



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 29.07.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 237/25 धारा
191(2)/190/131/324(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 28.07.25 को थाना खेकडा पर आवेदक जुनैद पुत्र मुमताज अली निवासी गुलिस्ताँ कालौनी जनपद अलीगढ ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तों 1. चांद पुत्र इरफान 2. आकिब पुत्र गबरु 3. काला पुत्र अखलाक 4. आजिम पुत्र उस्मान



5.अमन पुत्र निजामु बेगा 6.आसिफ पुत्र ताहिर 7. लालू पुत्र इमामुद्दीन 8. मीनू पुत्र जमील 9. अनस पुत्र सुकना 10. कादिर पुत्र साबिर एवं अज्ञात व्यक्ति निवासीगण कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर उसकी गाडी महिन्द्रा एक्सयूवी 700 को लाठी डन्डो से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 237/25 धारा 191(2)/190/131/324(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा

थाने के मु0अ0सं0 237/25 धारा 191(2)/190/131/324(5) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकडा पुलिस द्वारा दिनांक 28-07-2025 को 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. उबैदुल्ला पुत्र अनीस निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।
2. समरान पुत्र इसरत अली कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सनुज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
2. उ0नि0 श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
3. है0का0 299 रामकुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
4. का0 28 अजय नागर थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 29.07.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0- 241/25 धारा 140(1)/103(1)/238(क) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर जिनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व मृतक का बैग ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.07.2025 को थाना सिंघावली अहीर पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-इन्द्रपाल भगत पुत्र टीका सिंह निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत, 2.सचिन पुत्र नामालूम व 2-3 अज्ञात द्वारा उसके पति राहुल का अपहरण किया गया तथा उनकी हत्या कर शव को छिपा दिया है ।



इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 241/25 धारा 140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं उक्त राहुल के शव को दिनांक 05/06.07.2025 की रात्रि ग्राम गौसपुर के तालाब से बरामद किया गया तथा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 103(1)/238(क) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0- 241/25 धारा 140(1)/103(1)/238(क) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर जिनकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व मृतक का बैग बरामद हुआ है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट वृद्धि की गयी है।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध पिस्टल .32 बोर
- मृतक का बैग

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-भरत पुत्र राकेश निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.विक्की उर्फ विक्रान्त पुत्र अनिल ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर बरामद करने वाली पुलिस टीम

- 1-श्री सोनवीर सिंह सोलंकी थानाध्यक्ष थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 223 सचिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

साइबर क्राइम सैल दिनांक 29.07.2025

साइबर क्राइम सैल जनपद बागपत की पुलिस टीम ने समन्वय पोर्टल के अन्तर्गत प्रतिबिम्ब पोर्टल पर प्रदर्शित संदिग्ध मोबाइल नम्बरों की जांच के क्रम में विभिन्न राज्यों की साइबर ठगी में लिप्त 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से साइबर ठगी में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन व 04 सिम कार्ड बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

साइबर क्राइम सैल बागपत पर प्रतिबिम्ब पोर्टल से प्राप्त संदिग्ध मोबाइल नंबरों से संबंधित साइबर ठगी की शिकायतों की जांच के क्रम में पुलिस टीम द्वारा जांच की



गई। संदिग्ध मोबाइल नंबर से जुड़े मामले में लखनऊ, पुणे, बुलंदशहर , दिल्ली, हरियाणा व महाराष्ट्र आदि स्थानों से कुल लगभग ₹ 1,44,710/- की ठगी की जानकारी प्राप्त हुई। इस संबंध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0- 26/2025 धारा 319(2)/318(4)/316(5)/112(2)/61(2) BNS व 66(D) IT Act पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत साइबर क्राइम सैल बागपत पुलिस टीम द्वारा समन्वय पोर्टल के अन्तर्गत प्रतिबिम्ब पोर्टल पर प्रदर्शित संदिग्ध मोबाइल नम्बरों की जांच के क्रम में विभिन्न राज्यों की साइबर ठगी में लिप्त 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से साइबर ठगी में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन व 04 सिम कार्ड बरामद हुए हैं ।

बरामदगी का विवरण:- कुल 02 मोबाइल फोन

- Vivo Y100A (लाइट गोल्ड कलर)
- Vivo V27 (लाइट ब्लू कलर)
- 04 सिम कार्ड

नोट- अभियुक्तों के बैंक अकाउंट के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा संचालित NCRP PORTAL पर वर्तमान तक प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना साइबर क्राइम बागपत के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों से 08 शिकायतें प्राप्त हैं, जिनमें 2310625008575, 21907250070109, 33107250075584, 23104240039816, 3080325002219 3, 21305240019461, 30804250031900, 319042550063209 पर कुल 1,44,710 रुपये के साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. सचिन पुत्र राकेश निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत।
2. आदेश पुत्र सहन्सरपाल सिंह निवासी ग्राम विजवाड़ा थाना बिनौली जनपद बागपत।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि ऑनलाइन सामान शिफ्ट कराने के लिये मूवर्स एन्ड पैकर्स से संबंधित कम्पनी रजिस्टर करा कर ग्राहकों से सामान शिफ्टिंग के नाम पर ऑनलाइन आर्डर प्राप्त कर गाड़ियां बुक की जाती थी, जिसके बाद ग्राहक से धनराशि प्राप्त कर दूसरी गाड़ी को भेजकर बुकिंग की जाती थी जब दूसरी गाड़ी वाला व्यक्ति ग्राहकों से अपना किराया मांगता था तो अभियुक्तों द्वारा अपना फोन बंद कर लिया जाता था तब पीड़ित व्यक्ति को अपने साथ साइबर ठगी की जानकारी होती थी। इस प्रकार देशभर के विभिन्न राज्यों के ग्राहकों से साइबर ठगी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक प्रभाकर केंतुरा प्रभारी साइबर क्राइम सैल जनपद बागपत।
2. उ0नि0 उपदेश शर्मा साइबर क्राइम सैल जनपद बागपत।
3. का0 879 अमरेश कुमार साइबर क्राइम सैल जनपद बागपत।
4. का0 953 अंकुल कुमार साइबर क्राइम सैल जनपद बागपत।